संख्या-26/2020/658/71-1-2020-जी-592/2012

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 03 मार्च, 2020

विषयः- **मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैयायुक्त बाल रोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण कार्य हेतु आकलित पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैयायुक्त बाल रोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 09-11-2013 में उक्त प्रायोजना की मूल लागत रू0 27442.00 लाख आंकलित की गयी थी। इसी मूल लागत के सापेक्ष शासनादेश संख्या-2386/71-1-2013-जी-592/2012, दिनॉक 13-12-2013 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। शासनादेश संख्या-1/2017/2107/71-1-2016-जी-592/2012, दिनॉक 04-01-2017 द्वारा प्रश्नगत कार्य की पुनरीक्षित लागत रू0 29305.00 लाख स्वीकृत की गई। पुनः शासनादेश संख्या-65/2018/1093/71-1-2018-जी-592/2012, दिनॉक 26-03-2018 द्वारा प्रश्नगत कार्य की पुनरीक्षित लागत रू0 रू0 27441.00 लाख स्वीकृत की गई। उक्त पुनरीक्षित लागत रू0 27441.00 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल 25355.08 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1.	2386/71-1-13-जी-592/2012, दिनॉक 13-01-2013	1500.00
2.	2484/71-1-14-जी-592/2012, दिनॉक 28-08-2014	6818.50
3	57/2822/71-1-14-जी-592/2012, दिनॉक 10-12-2014	1060.50
3	1/2017/2107/71-1-16-जी-592/2012, दिनॉक 04-01-2017	5000.00
4	65/2018/1093/71-1-18-जी-592/2012, दिनॉक 26-03-2018	2500.00
5	66/2018/1214/71-1-18-जी-592/2012, दिनॉक 26-03-2018	1272.60
6	98/2018/1299/71-1-18-जी-592/2012, दिनॉक 31-03-2018	2203.48
7	5/2019/29/71-1-19-जी-592/2012, दिनॉक 11-01-2019	5000.00
	योग-	25355.08

2- आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2019-20/393, दिनॉक 11-11-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैयायुक्त बाल रोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा दिए गए अनुमोदन के क्रम में पुनरीक्षित लागत रू0 28460.53 लाख (रू0 दो अरब चौरासी करोड़ साठ लाख तिरपन हजार मात्र) (परियोजना की मूल लागत के सापेक्ष पुनरीक्षित लागत रू0 27441.00 लाख में से समिति द्वारा फर्नीचर की अवमूल्यित धनराशि रू0 101.00 लाख को घटाकर रू0 27340.00 लाख में मेडिकल पैकेजेज हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1120.53 लाख को सम्मिलित करते हुए) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 813.32 लाख (रू0 आठ करोड़ तेरह लाख बत्तीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

1- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
2- प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
3- प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराया जाय।
4- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक /प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
5- प्रयोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यो की प्रगति के सतत् अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक की प्रति शासन को उपलब्ध कराई जाय।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

7- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि तथा पुनरीक्षित लागत की सीमा में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

8- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक एवं परियोजना प्रबन्धक की होगी।

11- शासनादेश संख्या-2386/71-1-2013-जी-592/2012, दिनॉक 13-12-2013, शासनादेश संख्या-1/2017/2107/71-1-2016-जी-592/2012, दिनॉक 04-01-2017 तथा शासनादेश संख्या-65/2018/1093/71-1-2018-जी-592/ 2012, दिनॉक 26-03-2018 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

12- मेडिकल पैकेजेज से संबंधित कार्यो के संबंध में आवश्यकता, औचित्य, स्पेशिफिकेशन तथा लागत के परीक्षण हेतु गठित कमेटी की बैठक दिनॉक 26.07.2019 एवं 30.09.2019 में लिए गए निर्णय के अनुसार धनराशि का व्यय किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-65-मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैयायुक्त वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।"

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-252/दस-2020, दिनॉक 28 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-26/2020/658(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in